न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
52/2019	प्रा0पत्र 144 CPC	16.12.2019	26.02.2020

भगवानाराम पुत्र टोडाराम जाति खटीक निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि इस न्यायालय में दावा संख्या 68/2019 सरकार बनाम भगवानाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम का खेत खसरा नं. 1312/1220 तादादी 1.5990 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर तहसील चूरू की खातेदारी प्रार्थी के नाम से चली आ रही थी जिस कृषि भूमि में से 3800 वर्गफुट कृषि भूमि को इसी न्यायालय द्वारा दावा सं. 68/2019 के निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 18.10.2019 को 3800 वर्गफुट कृषि भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में दिनांक 04.12.2019 को किया गया नामान्तरकरण संख्या 1586 की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 के खिलाफ प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 62/2019 पेश की गई जिसका निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 05.12.2019 को पारित किया गया जिसमें इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 को अपास्त किया गया है। यह कि राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपील संख्या 62/2019 भगवानाराम बनाम राजस्थान सरकार आदि में निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में जो इन्द्राज निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 की अनुपालना में किया गया वह इन्द्राज कानूनन हटाये जाने योग्य है व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में अंकित की जावे। यह कि राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.2019 की अनुपालना में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 के आधार पर दर्ज राजस्व अंकन को हटाया जाकर दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे वादगत कृषि भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिक्री की पालना में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से नायब तहसीलदार पैरोकार राज ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 में वर्णित कथन स्वीकार है तथा कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय किया जाकर प्रार्थी की खसरा नम्बर 1312/1220 तादादी 1.5990 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर में से 3800 वर्गफुट कृषि भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कथन माननीय न्यायालय के निर्णय की मद तक स्वीकार है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है न कि पूर्व स्थिति बहाली का। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश फरमाया जावे। यह कि मद सं. 3 अनुतोष मद है। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने निर्णय दिनांक 18.10.2019 को अपास्त कर अपने निर्णय में प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने अपील निर्णय दिनांक 05.12.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019, जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो नियमानुसार कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 के द्वारा दर्ज अंकन को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार, चूरू को दिये जावें। राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल होने पर प्रार्थी उक्त भूमि का नियमानुसार व्यावसायिक संपरिवर्तन कराने हेतु तैयार है। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने अपील निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 18.10.2019 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य–सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश नहीं दिये हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील प्रार्थी व पैरोकार राज की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 की पालना में दर्ज किये गये अंकन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2019 की अनुपालना में पुनः दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपनी अपील संख्या 62/2019 अनुवानी भगवानाराम बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2019 में अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के दावा सं. 68/2019 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है तथा इस न्यायालय को निर्देशित किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आपके कार्यालय में जेरकार संपरविर्तन पत्रावली का निर्णय पारित करने के पश्चात् इस प्रकरण का निस्तारण करें। अगर संपरिवर्तन पत्रावली का निस्तारण किया जा चुका है तो अपीलार्थी पुनः संपरिवर्तन व्यावसायिक प्रयोजनार्थ का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। पैरोकार राज ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने निर्णय दिनांक 18.10.2019 को अपास्त कर अपने निर्णय में प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है न कि पूर्व की स्थिति बहाली का। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जब वही निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय आर.ए.ए. द्वारा अपास्त किया जा चुका है तो उस निर्णय व डिक्री के आधार पर किया गया परिवर्तन भी अपास्त किये जाने योग्य हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल होने पर प्रार्थी उक्त भूमि का व्यावसायिक संपरिवर्तन करवाने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया है कि माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के लिए कहा है, न कि बहाली के लिए। अतः प्रार्थना पत्र में नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.12.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 को अपास्त कर देने से उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2019 की पालना में वादगत राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी प्रथम दृष्टया उक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के हकदार हैं। प्रार्थी ने पूर्व स्थिति बहाल होने पर उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाने का कथन भी किया है। इसलिए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312/1220 तादादी 1.5990 हैक्टेयर रोही ढाढर के राजस्व अभिलेख में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादगत कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्यों में उपयोग व उपभोग नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू